राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1560/2007/चित्तौड़गढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा । .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स मधुकोन प्रोजेक्ट लि., चित्तौड़गढ़। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :20.01.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **20.02.2007** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो **अपील संख्या 218/आर.एस.टी./2006–2007 के संबंध में है** तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय. कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29, 58 व 68 के तहत् **निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 15.09.2006** के जरिये आरोपित कर ₹84,85,396/– व सरचार्ज ₹12,72,810 व पण्यावर्त कर **₹1,76,779/–व सरचार्ज ₹26,517/–**की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष **2003–04** का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29 के तहत् दिनांक **15.09.2006** को पारित करते समय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर यह अवधारित किया कि आलोच्य अवधि में **₹11,79,47,557/–**का कार्य उप–ठेकेदार मैसर्स बालाजील कन्स्ट्रक्शन, चित्तौड़गढ़ से **''उप–ठेके''** के जरिये कराया गया है व मैटेरियल भुगतान की कटौती, उप–ठेकेदार को किये गये भुगतान में से की गयी है । अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त आपूर्ति किये गये मैटेरियल को कर योग्य विक्रय होना मानकर, इस संबंध में आपूर्ति किये गये माल पर अधिसूचित भिन्न–भिन्न कर दर से माल कीमतन पर करारोपण प्रस्तावित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर, आपूर्ति किये गये माल की उक्त राशि पर

कर ₹84,85,396/– व सरचार्ज ₹12,72,810/– आरोपित कर, उक्त विक्रय राशि **₹11,79,47,557/–** पर पण्यावर्त कर व सरचार्ज **₹1,76,779/–व सरचार्ज ₹26,517/–** आरोपित निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैटेरियल की आपूर्ति, जो मैसर्स बालाजी कन्स्ट्रक्शन, चित्तौड़गढ़ को की गयी है, वह राज्य में **स्थानीय कर योग्य विक्रय की श्रेणी में है** क्योंकि उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात कर, उप–ठेकेदार को आपूर्ति कर, इस संबंध में उप–ठेकेदार को देय भुगतान में से इस राशि की कटौती की गयी है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक एवम् उचित रूप से करारोपण किया गया है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय स्तर पर दिये गये तर्कों को दोहराते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एण्ड अदर्स बनाम् मैसर्स लार्सन एण्ड ट्रूब्रो लि., एण्ड अदर्स (2008) 17 वी.एस.टी. 1 व माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स हिन्दुस्तान डोर–ऑलिवर लि., एण्ड अनॉदर बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स 1989 एस.टी.सी 211 को प्रोद्धरित कर, उक्त बिन्दु के संबंध में पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया ।. इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में **₹11,79,47,557/–** का कार्य उप–ठेकेदार मैसर्स बालाजी कन्स्ट्रक्शन, चित्तौड़गढ़ से कराया गया है एवम् इस संबंध में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उप–ठेकेदार को आपूर्ति किये गये माल कीमतन **₹11,79,47,557/–** पर कररोपण किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अनुचित एवम् अविधिक होना अवधारित कर, अपास्त कर दिया गया है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कार्य संविदा निष्पादन से प्राप्त राशियों पर अधिनियम की धारा 15 के तहत् जारी **विज्ञप्ति कमांक एफ.4(12) एफ.डी./टैक्स–डिवी/2001–25 दिनांक 29.03.2001** के प्रकाश में, 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क सकल प्राप्ति पर आरोपित करना निर्धारण आदेश से प्रकट है । अतः इस संबंध में "**उप–ठेकेदार**" से कराये गये कार्य के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी माल की आपूर्ति को विक्रय करना अवधारित कर, इस पर पृथक्–पृथक् अधिसूचित कर दर से करारोपण करना विधिअनुकूल नहीं है, जैसाकि राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 25(4) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं:–

नियम 25(4).–Where the tax has been deducted by an awarder from the payments made to a contractor or the tax has been deposited by a contractor or the tax has been levied on a contractor, no further tax shall be payable on the same goods involved in the execution of a work contract by the sub-contractor.

7. उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में, चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के दौरान कार्य संविदा निष्पादन के दौरान माल सम्पति मूल्य के अन्तरण से प्राप्त सकल प्राप्ति राशियों पर कार्य संविदा निष्पदक यानि मुख्य ठेकेदार पर मुक्ति शुल्क का आरोपण/निर्धारण हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में, **उप–ठेकेदार,** जो कि मुख्य ठेकेदार का ही एक एजेंट है, को कार्य संविदा निष्पादन हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी, जो कि मुख्य ठेकेदार है, द्वारा आपूर्ति किये गये माल को कर योग्य विक्रय होना मानकर, करारोपण करना न्यायसम्मत नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त संव्यवहार को विक्रय होना अवधारित कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहारी पर आरोपित पण्यावर्त कर व सरचार्ज को भी विधिक रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। अतः इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति पर विचार कर, आरोपित कर व सरचार्ज की मांग राशियों को अपास्त करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

20-1-2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य